कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1325/205/आउशि/सम./2025 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24/02/25

प्रति,

1. **कुलसचिव,**
   समस्त विश्वविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।
2. **प्राचार्य,**
   समस्त महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।

विषय :– **छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का कियान्वयन के संबंध में।**

संदर्भ :– ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमाक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 10.02.2025।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। उक्त पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. धारा 39 (घ)– दिव्यांगता की मानवीय दशा पर विद्यालय, महाविद्यालय विश्वविद्यालय और वृत्तिक प्रशिक्षण स्तर पर पूर्वाभिमुखीकरण कराना और सुग्राही बनाना।
2. धारा 39 (च)– विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों के अधिकार सम्मिलित करना।
3. धारा 47 (ख)– विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अध्यापकों के लिए सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए संघटक के रुप में दिव्यांगता का प्रवेश।
4. धारा 47 (2)– सभी विश्वविद्यालय ऐसे अध्ययनों के लिए अध्ययन केन्द्रों की स्थापना सहित दिव्यांगता संबंधी अध्ययनों में शिक्षण और अनुसंधान का संवर्धन करेंगे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 1326/205/आउशि/सम./2025 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24/02/25

प्रतिलिपि :–

अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

D:\PRAVEEN LETTER 2025\Letter 2025.docx

No.: L-201 22 377
AD (K) JDI DD
Section समन्वय
Date 14 FEB 2025 D.H.E.

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक** 10 FEB 2025

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषय – छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 का क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक 776/205/आउशि/सम/2024 दिनांक 14.10.2024

\-\-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन के संबंध में विभाग को अवगत कराया गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के निम्नलिखित बिन्दुओं पर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यवाही किया जाना है :–

1. धारा 32(1) – सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान और सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे, अन्य शिक्षा संस्थान संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम से कम 5 प्रतिशत सीान आरक्षित रखेंगे।
2. धारा 32(2) – उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की शिथिलता दी जायेगी।
3. धारा 39 (घ) – दिव्यांगता की मानवीय दशा पर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और वृत्तिक प्रशिक्षण स्तर पर पूर्वाभिमुखीकरण करना और सुग्राही बनाना।
4. धारा 39(च) – विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों के अधिकार सम्मिलित करना।
5. धारा 40, 41, 42 तथा 45(2) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल पहुंच, बाधारहित किया जाना जिसके अन्तर्गत परिवहन तक पहुंच भी शामिल है।
6. धारा 47 (ख) – विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अध्यापकों के लिए सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए संघटक के रूप में दिव्यांगता का प्रवेश।
7. धरा 47(2) – सभी विश्वविद्यालय ऐसे अध्ययनों के लिए अध्ययन केन्द्रों की सीापना सहित दिव्यांगता संबंधी अध्ययनों में शिक्षण और अनुसंधान का संवर्धन करेंगे।
8. वाक संप्रेषण व भाषा दिव्यांगजनों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांकेतिक भाषा के साधनों और अनुकल्पी पद्धतियों का प्रयोग।
9. दिव्यांग छात्रों के आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा में उपुयक्त जैसे–परीक्षापत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या सचिव की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट के लिए उपयुक्त उपांतरण करना।
10. समान अवसर नीति।
11. शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति।

12. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुरूप दिव्यांगजनों को भी सुविधाएं प्रदान किया जाना जैसे – विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अंको में रियायत इत्यादि।

2/ निर्देशानुसार, उपरोक्त में से कितने बिन्दु लागू कर दिये गये है और यदि कोई भी बिन्दु लागू नहीं हुआ है तो एक समय–सीमा में इन्हें लागू करने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से तत्काल जानकारी इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/2/25

(लेखा अंजगल्ले)
ओएसडी
उच्च शिक्षा विभाग